झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पचम झारखण्ड विधान–सभा

अष्टम् (बजट)– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 16 फाल्गुन, 1943 [श0] ....को 07 .मार्च, 2022 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
*क05	अ0सू0–02	श्री बिरंची नारायण	नौकरी एवं मुआवजा का भुगतान	गृ0कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.02.22
57	अ0सू0–32	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	वेतनमान का निर्धारण	वित्त	02.03.22
58	अ0सू0–12	श्री बंधु तिर्की	पदावनत करना	क0प्र0सु0 तथा रा0	22.02.22
59	अ0सू0–20	श्री रामदास सोरेन	मुआवजा देना	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0	28.02.22
60	अ0सू0–19	श्री ढुलू महतो	नशे के सौदागरों से बचाना	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0	26.02.22
61	अ0सू0–18	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	अनुकम्पा का लाभ	क0प्र0सु0 तथा रा0	26.02.22
62	अ0सू0–35	श्री सरयू राय	संस्था का निर्माण	योजना एवं विकास	02.03.22
63	अ0सू0–27	श्री दीपक विरूवा	नियुक्त करना	क0प्र0सु0 तथा रा0	02.03.22

01	02	03	04	05	06
64	अ0सू0–23	श्री मनीष जायसवाल	आरक्षण का लाभ	का0प्र0सु0 तथा रा0	02.03.22
65	अ0सू0–28	श्री प्रदीप यादव	प्रधानमंत्री आवास की मांग	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी	02.03.22
✡-66	अ0सू0–09	श्री विनोद कुमार सिंह	सरकारी वेतनमान देना	का0प्र0सु0 तथा रा0	22.02.22

नोटः–"क"05 अ0सू0–02, दिनांक–28.02.2022 से सदन द्वारा दिनांक–07.03.2022 के लिए स्थगित।

रॉंची
दिनांकः–07 मार्च, 2022 ई0

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2021–940/वि0स0, रॉंची, दिनांकः– 04/03/2022

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
04.3.2.22
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2021–940/वि0स0, रॉंची, दिनांकः– 04/03/2022

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04.3.2.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2021–940/वि0स0, रॉंची, दिनांकः– 04/03/2022

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04.3.2.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

04/03/22

✡- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-1148, दिनांक-22-02-2022 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानान्तरित।

नौकरी एवं मुआवजा का भुगतान ।

उ०मुद्रित *05. श्री बिरंची नारायण--क्या मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित झारखण्ड के सभी जिलों के अन्तर्गत 223 नक्सलियों-उग्रवादियों ने सरेंडर पॉलिसी, 2010 बनने के बाद सरेंडर किया है और झारखण्ड बनने के बाद से लेकर अब तक 1868 लोगों की नक्सली हिंसा में जान गई है तथा इनमें से मात्र 600 आश्रित परिवारों को ही सरकारी नौकरी और मुआवजा प्राप्त हुआ है, जबकि नक्सलियों और उग्रवादियों को सरेंडर करते ही तत्काल सभी सुविधाएँ मिल जाती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में नक्सली और उग्रवादी हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों के उक्त लंबित मामलों पर विचार करते हुए सरकारी नौकरी और मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । झारखण्ड सरकार द्वारा 2010 से लागू किये गए आत्मसमर्पण नीति के तहत जनवरी, 2022 तक कुल 231 नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है । झारखण्ड राज्य निर्माण से अबतक कुल 1587 आम नागरिकों की मृत्यु नक्सली घटना में हुई है, जिसमें 794 मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं 1086 को अनुदान राशि का लाभ दिया गया है ।

(2) उग्रवादी हिंसा में मारे गये सामान्य नागरिक के वैध आश्रित को संबंधित जिला से एतदसंबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर सरकारी प्रावधानुसार विचार करते हुए अनुमान्य अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति एवं अनुग्रह अनुदान के भुगतान की स्वीकृति की कार्रवाई सरकार द्वारा अनवरत् रूप से दी जा रही है ।

----

(57)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में तिथि 07.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 32 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि सरकार छठे वेतनमान लागू होने के साथ ही राज्य कर्मियों के लिए सभी ग्रेड–पे के साथ न्यूनतम वेतन भी निर्धारित किया गया, जो सातवें वेतनमान में भी लागू है?	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि 9300 मूल वेतन एवं 4600 ग्रेड–पे धारक के लिए न्यूनतम वेतन 17,140/– निर्धारित किया गया है?	स्वीकारात्मक। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28.02.2009 के Schedule-I Section-1 में प्रत्येक ग्रेड पे के लिए अलग–अलग Entry Pay का प्रावधान किया गया है। उक्त के अनुसार ग्रेड–पे 4600/– का Entry Pay 17,140/– है।
(3.) क्या यह बात सही है कि 4600 ग्रेड पे धारक राज्य के प्राथमिक शिक्षकों को न्यूनतम 17,140/– रुपये वेतन निर्धारित करने की बजाए 9300 + 4600 = 13,900/– ही देने का प्रावधान किया गया है?	अस्वीकारात्मक। शिक्षकों के वरीय वेतनमान PB-II, 9300-34800, GP 4600/- में प्रोन्नति होने पर वेतन का निर्धारण प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 में निहित प्रावधान के अनुरूप होता है। उक्त के अनुसार वरीय वेतनमान में प्रोन्नति होने पर संबंधित शिक्षकों के कार्य एवं दायित्व में कोई परिवर्त्तन नहीं होने के कारण वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम FR.22(1)(a)(2) के तहत होता है अर्थात् वेतन निर्धारण में वेतन-वृद्धि का लाभ देय नहीं होता है बल्कि प्रोन्नति के बाद मिलने वाले वेतनमान में जिस प्रक्रम पर प्रोन्नति के पूर्व वेतन होता है, वही देय होता है।
(4.) क्या यह बात सही है कि अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षकों को यथोचित वेतन निर्धारण का लाभ नहीं देने के कारण नैसर्गिक न्याय का हनन हो रहा है?	अस्वीकारात्मक। शिक्षकों के वरीय वेतनमान PB-II, 9300-34800, GP 4600/- में प्रोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया राज्य कर्मियों के नियमित प्रोन्नति एवं ACP/MACP के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की प्रक्रिया से भिन्न है। वरीय वेतनमान PB-II, 9300-34800, GP 4600/- में प्रोन्नति के फलस्वरूप शिक्षकों के कार्य एवं दायित्व में किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं होता है, फलस्वरूप उनके वेतन निर्धारण में वेतन-वृद्धि का कोई

	लाभ देय नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा भी विभिन्न वादों में यह स्थापित किया गया है कि वरीय वेतनमान/प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति होने पर शिक्षकों को वेतन निर्धारण का लाभ (एक वेतन-वृद्धि) देय नहीं होगा। इस संबंध में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1867/वि॰ दिनांक 11.07.2019 एवं पत्र संख्या 515/वि॰ दिनांक 11.02.2021 द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन जारी किया गया है। छठा पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रोन्नति के फलस्वरूप आरम्भिक वेतन (Entry Pay) उन्हीं मामलों में अनुमान्य है, जहाँ वेतन निर्धारण में वेतन-वृद्धि का लाभ देय है। चूँकि शिक्षकों के वरीय वेतनमान में प्रोन्नति होने के फलस्वरूप उनके कार्य एवं दायित्व में कोई परिवर्त्तन नहीं होने के कारण उनके वेतन निर्धारण में वेतन-वृद्धि का लाभ देय नहीं है, अतः उन्हें वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28.02.2009 के Schedule-I Section-1 में 4600/– ग्रेड–पे के लिए प्रावधानित Entry Pay 17,140/– अनुमान्य नहीं है।
(5.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षकों को भी अन्य राज्य कर्मियों की तरह ग्रेड–पे 4600/– के अनुरूप न्यूनतम वेतन 17,140/– निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड–4 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰ (4)–12/2022...36/वि॰वि॰   राँची/दिनांक:...4/03/2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 827 वि०स०, दिनांक 02.03.2022 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04-03-2022

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव

58

माननीय स०वि०स० श्री बंधु तिर्की द्वारा दिनांक 07.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–12 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सीधी नियुक्ति एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त हुए चतुर्थ वर्ग कर्मियों को प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है;	**स्वीकारात्मक।** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–1749 दिनांक–27.03.2010 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग हेतु "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली– 2010" तथा कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–5028 दिनांक–15.06.2016 द्वारा समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के लिए "झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2016" का गठन किया गया है। उक्त नियमावलियों में निम्नवर्गीय लिपिक के 15% पदों पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले समूह–'घ' के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि चतुर्थ वर्ग में सीधी एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को सम्पूर्ण सेवाकाल में दी जानेवाली प्रोन्नति से अधिक प्रोन्नति दिये जाने से सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** किसी पद पर प्रोन्नति संबंधित सेवा/संवर्ग के सेवाशर्त्त एवं प्रोन्नति नियमावली के प्रावधानों के आलोक में प्रदान की जाती है। सेवा/संवर्ग के सेवाशर्त्त एवं प्रोन्नति नियमावली में विहित पदसोपान के अन्तर्गत ही प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को सम्पुर्ण सेवाकाल में प्रोन्नति की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए नियम विरूद्ध प्रोन्नति पाने वाले कर्मियों को चिन्हित कर पदावनत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–03/2022 का०– 1372 /राँची, दिनांक– 04/03/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–139 दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/2022

(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

(59)

श्री रामदास सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–20 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के गुड़ाबांदा प्रखण्ड के ग्राम–कर्लाबेडा एक राजस्व ग्राम है जो जमीन से काफी उपर बीहड़ जंगल होते हुए पहाड़ी पर बसा है,	स्वीकारात्मक। गुडाबन्दा प्रखण्ड एवं गुडाबन्दा थानान्तर्गत फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत अन्तर्गत कर्लाबेडा नामक टोला अवस्थित है, जो बीहड़ जंगल से होते हुए पहाड़ी पर बसा है। कर्लाबेडा एक राजस्व ग्राम नहीं है।
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित ग्राम एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ वर्ष 2010 में नक्सलियों द्वारा 03 (तीन) ग्रामीणों क–कान्हू कालुंडिया, ख–सूना समड़ एवं ग– गोंडेराम कालुंडिया की हत्या पुलिस का मुखबिर बताकर कर दी गई थी और उक्त हत्या के बाद नक्सलियों द्वारा पीड़ित परिवारों को पुलिस को उक्त घटना की जानकारी नहीं देने की धमकी दी गई थी,	उपरोक्त कंडिका–1 में वर्णित ग्राम एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा गुडाबन्दा थानान्तर्गत उक्त ग्राम में वर्ष 2010 में तीन ग्रामीणों क–कान्हू कालुंडिया, ख– सुना समड एवं ग–गोंडेराम कालुंडिया को पुलिस का मुखबिर बताकर नक्सलियों द्वारा मारे जाने के संबंध में स्थानीय थाना अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि गुडाबान्दा थाना में इस संबंध में कोई कांड प्रतिवेदित नहीं कराया गया है और ना ही कोई यू०डी० कांड दर्ज कराया गया है। पूछताछ के क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त तीनों ग्रामीणों को नक्सलियों द्वारा घर से बुलाकर ले जाया गया, जिसके उपरांत वे वापस नहीं आए एवं न ही उनलोगों के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
03	क्या यह बात सही है कि राज्य में नक्सलियों द्वारा या उग्रवादी घटना में मारे गये व्यक्ति के आश्रित को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा का प्रावधान होने के बावजूद खण्ड–2 में वर्णित पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा अबतक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है,	घटना के संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा पुलिस या प्रशासन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचना नहीं देने के कारण एवं गुडाबान्दा थानान्तर्गत कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं होने के कारण संबंधित मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा की स्वीकृति संबधी कार्रवाई नहीं की गयी है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित पीड़ित परिवारों को सरकार के प्रावधानानुसार सरकारी नौकरी एवं मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०(02)–06/2022–907/राँची, दिनांक–06/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० 759, दिनांक–28.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

60

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में ब्राउन शुगर की सप्लाई की जा रही है और कई स्थान नशे के सौदागर यथा राँची, सराकेला, खूंटी एवं अन्य जिलों के सीमावर्ती इलाके में पुलिस से छिपकर अफीम की खेती धड़ल्ले से कर रहे हैं;	अवैध अफीम की खेती के विरूद्ध 2006.74 एकड़ भूमि में लगे अवैध अफीम की खेती को विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई है तथा संबंधित अवैध मादक द्रव्य पदार्थ बरामद कर जप्त किया गया है तथा विधि अनुरूप कार्रवाई की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि नशे के व्यापारियों द्वारा राज्य के बाहर से ब्राउन शुगर प्रोसेस करने हेतु Expert हायर कर स्थानीय युवकों को भी प्रोसेसिंग के गुण सिखाये जा रहे हैं पैसे के लालच में स्थानीय युवक के भविष्य बर्बाद किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। इस प्रकार की सूचना नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अफीम की खेती एवं ब्राउन शुगर के स्थापित युनिट को नष्ट कर झारखण्ड के युवा वर्ग को नशे के सौदागरों के चंगुल से बचाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18 / वि०स० (02)–05 / 2022–....905.... / राँची, दिनांक– 06 /03 /2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–652, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

(61)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अनुबंध/एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मृत्यु के पश्चात आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ नही दिया जाता है,	स्वीकारात्मक। कार्मिक विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–3 में परिभाषित सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले पर विचार किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार ने अनुबंध/एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितिकरण एवं अन्य देय सुविधाओं के निर्धारण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया था, कमिटि द्वारा नवंबर 2021 में अपनी सिफारिशे/रिपोर्ट सरकार जिसमें अनुबंध कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ देने का प्रावधान सम्मिलित नही किया जा सका है,	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवाशर्त्तो में सुधार तथा नियमितिकरण के संबंध में उठाये जा रहे माँग की समीक्षा कर अपना अभिमत देने के लिए कार्मिक विभागीय पत्रांक–4011, दिनांक–18.08.2020 द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित किया गया है। उक्त समिति की अनुशंसा प्रदान करने की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गठित कमिटि द्वारा प्रस्तुत सिफारिशो सहित अनुबंध कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ दिलाने का प्रावधान शामिल करने का विचार रखती है, हॉं तो कबतक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–14/2022 का0–1402/रांची, दिनांक 05/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–644, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(62)

श्री सरयु राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0 35 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न सामग्री	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य की विकास योजना तैयार करने के लिए झारखण्ड राज्य योजना आयोग बोर्ड का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है,	स्वीकारात्मक। योजना एवं विकास विभाग का संकल्प ज्ञापांक 1306 दिनांक 05.08.2015 की कंडिका 3(ग)(iii) से राज्य विकास परिषद् के गठन के साथ हीं राज्य योजना पर्षद् स्वतः समाप्त हो गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि इसके स्थान पर झारखण्ड में राज्य विकास परिषद् बनाने का निर्णय हुआ, जिसका गठन भी अभी तक नही हुआ है, जिसके कारण राज्य योजनाओं के निरूपण एवं समीक्षा में विशेषज्ञों का योगदान शून्य है और यह कार्य पूरी तरह सरकारी अधिकारियों पर निर्भर रह गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। योजना एवं विकास विभाग का संकल्प ज्ञापांक 1306 दिनांक 05.08.2015 द्वारा राज्य विकास परिषद् का गठन किया गया है। प्रथम बैठक दिनांक 03.01.2017 को एवं द्वितीय बैठक दिनांक 04.10.2018 को सम्पन्न हुआ है। झारखण्ड राज्य के विकास के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना (2018–19 से 2020–21) को राज्य के विभिन्न विभागों के सहयोग से तैयार किया गया है। वर्तमान में राज्य विकास परिषद् के उपाध्यक्ष का दो पद, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का एक पद, विभिन्न क्षेत्रों के 10 विशेषज्ञों का पद रिक्त है, जिसका मनोनयन प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि अवकाश प्राप्त आई0ए0एस0 अधिकारी श्री टी0 नंद कुमार के पर्यवेक्षण में झारखण्ड के विकास के लिए तीन वर्षीय दृष्टि–पथ तैयार हुआ था, जिसकी अनुशंसाओं का उपयोग राज्य का वार्षिक योजना दस्तावेज बनाने में नही हो रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। विशेषज्ञों की सहायता से झारखण्ड राज्य के विकास के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना (2018–19 से 2020–21) तैयार की गई है। त्रि–वर्षीय कार्य योजना की प्रति सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी उपायुक्तों को उपलब्ध कराते हुए तद्नुरूप इसका कार्यान्वयन करने हेतु निदेशित किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में वार्षिक योजना तैयार करने और पूर्व वर्षों की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए आर्थिक एवं योजना विशेषज्ञों से युक्त संस्था का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन एवं झारखण्ड राज्य पंचायती राज अधिनियम, 2005 तथा झारखण्ड नगर निकाय अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के आलोक में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत् राज्य के समेकित तथा समावेशी विकास के लिए राज्य स्तर पर शीर्षस्थ निकाय के रूप में राज्य विकास परिषद् का गठन किया गया है। राज्य विकास परिषद् में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञता प्राप्त 10 विशेषज्ञों (कृषि, वन, उद्योग, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वयंसेवी एवं सामाजिक संस्था, शिक्षाविद) का सदस्य के रूप में मनोनयन का प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक–यो0वि0(वि0स0)–04 / 2022 216 / राँची, दिनांक 05/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं0 828 / वि0स0 दिनांक 02.03.2022 के आलोक में कुल 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05.3.22

उप निदेशक–सह–उप सचिव

63

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–10167, दिनांक–01/12/2015 में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने संबंधी निदेशों का उल्लेख है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को 18 वर्ष आयु पूर्ण नहीं होने के कारण अनुकम्पा पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त पत्र की कण्डिका–6 में उल्लेखित प्रावधानानुसार सेवा संहिता के नियम–54(क) के तहत् प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष उम्र सीमा को क्षान्त कर नियुक्त की जा सकती है;	स्वीकारात्मक। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका (4) में मृत सरकारी सेवक के यथा परिभाषित सभी आश्रित सदस्यों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में आवश्यकतानुसार विहित प्रक्रिया के तहत अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त की जाएगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुकम्पा मामले के लंबित विषयों की समीक्षा कर प्रभावित लोगों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–19/2022 का0–1403 /रांची, दिनांक 05/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–824, दिनांक–02.03.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(64)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में OBC वर्ग की आबादी कुल आबादी का लगभग 55% होने के बावजूद उक्त वर्ग को अबतक 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा खण्ड–01 में वर्णित वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दे दी गई है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि श्री लोकनाथ प्रसाद सेवानिवृत न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा उक्त संबंध में बैठक कर राज्य में OBC के आरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन 2021 ई0 में सरकार को उपलब्ध कराई गई है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित केन्द्र सरकार के तर्ज पर राज्य में आरक्षण का लाभ दिलाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार हेतु समिति का गठन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / ज्ञा0वि0स0–07–20 / 2022 का0– 1406 / रांची, दिनांक 05.03.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–825, दिनांक–02.03.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(65)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा चलाये गये अतिमहत्वकांक्षी कार्यक्रम आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत् कई महत्वकांक्षी योजना यथा–सर्वजन पेंशन योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत् 10 लाख आवेदन प्राप्त हुए है,	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** • "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत् विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुल 35,95,581 (पैंतीस लाख पंचानवे हजार पाँच सौ इक्कासी) आवेदन प्राप्त हुए है।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के कठोर निर्देश है कि 29 दिसम्बर, 2021 तक सर्वजन पेंशन योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत् प्राप्त आवेदनों का समाधान करना है,	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** • मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक–15.02.2022 को सभी उपायुक्तों के साथ Video Conferencing के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक में, "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत् राष्ट्रीय सुरक्षा सामाजिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्वीकृत आवेदनों के स्वीकृति पत्र को NSAP Portal पर Upload करने का निदेश दिया गया है, ताकि लाभुकों को पेंशन का शीघ्र भुगतान हो सके। • साथ ही स्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों पर अबतक किस कारण से स्वीकृति नहीं दी गयी है, इसकी भी समीक्षा करते हुए, लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया है।
3.	क्या यह बात है कि सबसे अधिक आवेदन आवास हेतु प्राप्त हुआ है,	**स्वीकारात्मक।** • "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत् आवास हेतु कुल 7,82,567 (सात लाख बयासी हजार पाँच सौ सड़सठ) आवेदन प्राप्त हुए है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोई नई योजना लाकर या भारत सरकार से आवास पाने की पात्रता रखने वालों के लिए अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास की मांग करेगी, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	• "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत् आवास योजना से संबंधित प्राप्त आवेदनों में जिन आवेदकों का नाम **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के स्थायी प्रतीक्षा सूची तथा आवास प्लस की सूची में सूचीबद्ध है उन आवेदकों को **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के तहत् आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे आवेदक, जिनका नाम इस सूची में नहीं है, परन्तु बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर आवास योजना की पात्रता रखते है, उन्हें आगामी वित्तीय वर्षों के बजट उपबंध के आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर आवास का लाभ दिया जायेगा। • **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** अन्तर्गत योग्य एवं पात्रता रखने वाले लाभुकों की सूची पर, निकायों से प्राप्त डी०पी०आर० के आधार पर **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार** की आगामी बैठक में अतिरिक्त आवास की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

ज्ञापांक –*सी०एस०–01/विविध (विधान सभा)–03/2022* 304/ रांची, दिनांक 06 मार्च, 2022 ई०।

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–826 वि०स०, दिनांक–02.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.03.2022

(अजय कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव